RCMS
2019/00077

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

त्रिलोचनसिंह बनाम हरजिन्द्रसिंह आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 43 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
02.04.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 20.04.2017 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए एवं वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधी. न्यायालय में पत्रावली तलबी हेतु चल रही थी, कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होनी थी एवं अपीलांट के पक्ष में धारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रा.पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई थी। दावा खारिज होने पर धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र भी खारिज कर दिया। इसके साथ अपीलांट ने अपील प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 टी. पटवार हल्का मलकाना के खाता सं. 22/20 मु.नं. 33 की	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

1.454है0 व मु.नं. 46 की 6.1960है0 कुल 7.650है0 भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादी / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अधी. न्यायालय में वाद तलबी हेतु चला था। कोई प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी। इस हेतु अधी. न्यायालय को पक्षकारों को तलब कर सुनकर ही निर्णय करना चाहिए था। वाद खारिज होने की स्थिति में अपीलांट को अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का लगाना चाहिए था जो न लगाया जाकर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 20.04.17 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि मूल वाद एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रा.पत्र को पुनः नम्बर पर लेकर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया जावे। जहां तक अपीलांट द्वारा इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने का निवेदन किया है इस सम्बन्ध में अपीलांट अधी. न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)